

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना का रखीन दी अवस्थिति

(i) राज्य / संघराज्यकोश

उत्तराखण्ड

(ii) जिला

अरमोड़ी

(iii) जिला वन प्रभाग

अरमोड़ी वन प्रभाग अरमोड़ी

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः

4.676 वन प्रभाग खंड स्थिति वन भूमि

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा

चीड़, साल, कनार, बाकुल आदि आदि

(i) वन या प्रकार

ओपन फौरिट

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व : 4

(iii) प्रजातिगत स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के हिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना सेलग्न है। कोइ नहीं

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी भूक्षरण की स्थलाकृति

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 5 तकी मीट्री दूरी

21. चन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्त्वा : महत्वपूर्ण वन्यजीव नहीं

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा : महत्वपूर्ण वन्यजीव नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास

गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और उपावद्व किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपावद्व की जाए) नहीं

(iii) क्या किरी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए

उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्व की जाए) नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास

आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्व की जाए) नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो

उसके व्यौरे नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संसारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्व किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें) नहीं

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें विस्तार हेतु पूर्वेक्षण के वन भूमि उत्तर-पश्चिम अन्ताव प्रद्वान की जाए छोड़ा दिया जाए

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अग्रिकरण द्वारा चथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। अपरिहार्य खंड न्यूनतम वन भूमि है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपचार छिया जा सकता है। **छ**

24. किए गए अतिकमण के बारे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक लिंबातों वो अतिकमण में विसी कार्य को किया गया है
(हाँ/नहीं)

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों)
का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के बारे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी
व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही **छ**

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है **(हाँ/नहीं)**

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के बारे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। **स्थिर वन भूमि**

(ii) अवरिथति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए
गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे बारे हैं। **स्थिर वन भूमि**

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000
माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं। **छ**

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक
वनरोपण स्कीम के बारे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : **सलग है।**

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्ताता के
बारे में संबद्ध उपचन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हाँ/नहीं)

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने
वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों
स्वीकृति संचुनि की जाती है।

स्थान: **भारतीय**

तारीख: **२-४-२०७**

(स्वीकृति संचुनि की जाती है)
हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा
प्रभागीय वनाचारी

बल्लोडा वन प्रभाग अस्सोडा